

नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
बीज भवन, पूसा परिसर
नई दिल्ली-110012

संख्या : 1(7)/11-12/कल्याण/एन.एस.सी.

दिनांक 16.06.2011

निविदा सूचना

कैंटीन टेकेदार के लिए एन.एस.सी. लिमिटेड में सील बन्द निविदाएं आमंत्रित हैं। टेन्डर से संबंधित सभी जानकारी एन.एस.सी. वेब साईट www.indiaseeds.com पर देखी जा सकती है।

निविदा लेने की अंतिम तिथि : 28.06.2011 से 15.07.2011 (13:00 बजे) 1:00 बजे तक

निविदा खोलने की अंतिम तिथि 15.07.2011 (1530 बजे) 3:30 बजे तक

धरोहर राशि रुपये 10.000/-

एन.एस.सी. के पास बिना कारण बताए किसी एक या सभी निविदाओं की स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

कम्पनी सचिव

नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, मुख्यालय, नई दिल्ली
में कैन्टीन चलाने से संबंधित नियम और शर्तें

1. जब तक कि अन्यथा निर्देशित न हो, सभी कार्य दिवसों को कैन्टीन का समय प्रातः 9:00 बजे से सांय 6:00 बजे तक होगा।
2. कैन्टीन के ठेकेदार को अपना कार्य शुरू करने के समय निगम के पास रुपये 10,000/- अग्रिम राशि के रूप में जमा करानी होगी। यह अग्रिम राशि ठेके की समाप्ति पर उसे वापिस कर दी जाएगी, बशर्ते कि किसी भी प्रकार के नुकसान को इस राशि में से समायोजित कर लिया जाएगा। यह अग्रिम राशि ब्याज रहित होगी।
3. ठेकेदार को निगम से जरूरी बिजली के बिलों की प्राप्ति पर प्रतिमाह बिजली प्रभार मीटर रीडिंग पर रुपये 2.40 पैसे प्रति यूनिट की दर से देना होगा।
4. ठेकेदार को गैस का कनेक्शन स्वयं वहन करना होगा।
5. ठेकेदार कैन्टीन को साफ व सुव्यवस्थित रखेगा।
6. ठेकेदार द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को वर्दी उपलब्ध कराएगा।
7. ठेकेदार स्थानीय कानून के दायरों में जरूरी खाते रखने का जिम्मेदार होगा और उनके लिए जरूरी खर्चे वहन करेगा।
8. ठेकेदार का कार्यकाल एक वर्ष का है जोकि दिनांक 1.8.2011 से शुरू होगा। यदि ठेकेदार का कार्य संतोषजनक रहेगा तो आगे भी इसे आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकता है।
9. ठेके को दोनों पार्टियों की तरफ से एक महीने के नोटिस पर रद्द कर दिया जाएगा।
10. निगम के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि तसल्ली बख्श सेवा न मिलने पर या किसी और प्रशासनिक कारण से बिना कोई सूचना दिये ठेके को निरस्त कर सकती है।
11. जैसे और जब भी कार्यालय को जरूरत होगी तो छुट्टी वाले दिन भी ठेकेदार द्वारा खान-पान की सेवा उपलब्ध होगी।
12. कैन्टीन को सभी चीजें जिसमें चाय, कॉफी भी शामिल है अच्छी किस्म की क्रोकरी में उपलब्ध करानी होगी।
13. ठेकेदार, कैन्टीन समिति द्वारा निर्दिष्ट अधिकारी को कैन्टीन में आने और चीजों को निरीक्षण करने की अनुमति देगा।
14. ठेकेदार निगम की चीजों की देखभाल का जिम्मेदार होगा और ठेके की समाप्ति पर उन चीजों को उसी हालत में वापिस करेगा जैसे कि उन्हें सौंपी गई थी।
15. ठेकेदार निगम द्वारा अनुमोदित मूल्यों के आधार पर खान-पान की चीजें बदल सकता है और विशेष अनुमोदन के बिना मूल्यों को नहीं बढ़ायेगा।
16. आप कैन्टीन को अपने मैनेजर/एजेन्ट द्वारा अपनी देख-रेख में चलाएंगे।
17. कैन्टीन मैनेजर, बेयरों तथा दूसरे कर्मचारी जो भी आप रखेंगे उनका वेतन देने की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी और भुगतान किए गए वेतन से नियमानुसार कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान और ESI स्वयं काटकर संबंधित कार्यालय में जमा कराएंगे। ठेकेदार के पास PAN नम्बर और कर्मचारी भविष्य निधि का कोड संख्या होना अनिवार्य है।
18. खाने की नई मद बिना पूर्व आज्ञा के प्रारम्भ नहीं की जाएगी।
19. ठेकेदार, स्टाफ के किसी भी कर्मचारी को उधार माल देने का स्वयं जिम्मेदार होगा। वह यदि चाहे तो उधार बेचने के लिए कूपन सिस्टम लागू कर सकता है।

क्रम संख्या	विवरण
1.	चाय
2.	ब्रेड पकोड़ा
3.	समोसा
4.	दो कचोड़ी (एक प्लेट)
5.	थाली लेंच
6.	एक प्लेट सब्जी
7.	एक प्लेट दाल
8.	आधा प्लेट चावल दाल के साथ
9.	कॉफी
10.	डिप वाली चाय
11.	कोई भी पार्टी/प्रोग्राम का नाश्ता (चाय, समोसा, बर्फी एवं चिप्स, चाय थरमाकोल गिलास में)
12.	कोई भी पार्टी का स्पेशल लंच
13.	लस्सी (छोटा गिलास) लस्सी (बड़ा गिलास)
14.	कोल्ड ड्रिंक
15.	Butter Slice two
16.	Omelet with one eggs & two slice
17.	Bread Slice ¼pew slice)
18.	Veg Sandwich
19.	Butter Toast (2 slice)